रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

21 MAY 1976

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 227] नई दिल्ली, बुधवार, मई 12, 1976/वैशाख 22, 1898

No. 227] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 12, 1976/VAISAKHA 22, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 12th May 1976

S.O. 347(E)/18E/IDRA/76.—Whereas the Central Government has, by its order, in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 725(E)/18A/IDRA, dated the 25th November, 1972, issued under sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), authorised a Board of Management to take over the management of the industrial undertaking known as India Machinery Company Limited, Howrah (hereinafter in this order referred to as the said industrial undertaking) for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies, in the Schedule annexed thereto, the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the said industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the said order.

THE SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the said undertaking.
Section 291	Provisions of sub-section (1) of this section shall not apply to the said undertaking.
Section 310	Provisions of this Section shall not apply to the said industrial undertaking.

[No. F. 7(42)/75-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 मई, 1976

का० आ० 347(अ)/18ई/आई० डी० आर० ए०/76.—यतः केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश संख्या का०आ० 725 (ई)/18ए/आई० डी० आर० ए० दिनांक 25 नवम्बर, 1972 के अपने आदेश द्वारा एक प्रबंध बोर्ड की इण्डिया मशीनरी कम्पनी लि०, हावड़ा (जिसे इसके बाद इस आदेश में उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबंध उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18ङ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस से उपाबद्ध अनुसूची में उन अपवादों, निर्बन्धनों और सीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिनके अधीन, रहते हुए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) उक्त औद्योगिक उपक्रम को उसी रीति से लागू होगा जैसे यह उक्त आदेश के जारी करने से पूर्व उसे लागू होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंध	वे अपवाद, निर्बन्धन और सीमाएं जिनके अधीन रहते हुए स्तम्भ (1) में उल्लिखित उपबंध उपक्रम पर लागू होंगे।
धारा 291	इस धारा की उपबंध (1) के उपबंध उक्त औद्योगिक उपक्रम पर लागू नहीं होंगे।
धारा 310	इस धारा के उपबंध उक्त औद्योगिक उपक्रम पर लागू नहीं होंगे।

[सं० फा० 7 (42)/75—सी०यू०सी०]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976